



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सुरक्षित किसान, राष्ट्र का अभिमान

**HDFC
ERGO**

Take it easy!

राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कृषकों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी:

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

प्रश्न: फसल बीमा कौन करवा सकता है ?

उत्तर: ऋणी एवं गैर ऋणी (बटाईदार/साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे खरीफ 2020 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाये। जिसके आवेदन की अन्तिम तिथि 8 जुलाई, 2020 है।



प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी ?

उत्तर: बीमित राशि गत 7 वर्षों के जिला स्तर के उपज में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों के उपज के औसत को न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुणा के अनुसार तथा जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है उनके लिए बाजार भाव से गुणा कर तय की गयी है।

प्रश्न: फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर क्या हैं ?

उत्तर: खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं ?

- उत्तर: 1) फसलों की बुवाई/बुवाई न कर पाने/असफल अंकुरण जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना।
- 2) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।
- 3) फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में "काटकर व फैलाकर/छोटे गट्टरों में बांधकर" सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है।
- 4) स्थानीय आपदाएं: योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल नहीं हैं ?

उत्तर: योजना के अन्तर्गत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिमों को (योजना से) बाहर रखा जाएगा।

प्रश्न: इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकते हैं ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/बीमा कंपनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल - <https://www.pmfby.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

प्रश्न: गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं ?

उत्तर: गैर ऋणी किसानों को अधिसूचना अनुसार भू-अभिलेख, आधार कार्ड, बोर्डेड हई फसल का प्रमाण पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी), भू-स्वामी से घोषणा पत्र/अनुबंध (पट्टे की भूमि के मामले में), बैंक पास बुक कॉपी जमा कराना अनिवार्य होगा। इसे राज्य द्वारा अधिसूचना में ही परिभाषित किया गया है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या हैं ?

उत्तर: मुख्य फसलों के लिए बीमा इकाई पटवार मंडल स्तर एवं अन्य फसलों के लिए बीमा इकाई तहसील स्तर है।

प्रश्न: स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर: प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 1800 266 0700 पर अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो कृषक द्वारा 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित पत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को देना आवश्यक होगा जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नं., अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए।

फसली ऋण लेने वाले कृषकों द्वारा योजना से पृथक होने के लिए संबंधित बैंक में 8 जुलाई, 2020 तक लिखित में घोषणा पत्र दिया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि तथा बीमित राशि का विवरण निम्नअनुसार है:

मौसम	जिला	अधिसूचित फसल	बीमित राशि (रु./ हेक्टेयर)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु./ हेक्टेयर)
खरीफ 2020	जैसलमेर	बाजरा	3407.00	68.14
	जैसलमेर	मूंगफली	84319.00	1686.38
	जैसलमेर	ग्वार	6040.00	120.80
	जैसलमेर	मूंग	26083.00	521.66
	जैसलमेर	मोठ	13466.00	269.32
	जैसलमेर	तिल	18671.00	373.42
	सीकर	बाजरा	25935.00	518.70
	सीकर	चंवला	36391.00	727.82
	सीकर	मूंगफली	113762.00	2275.24
	सीकर	ग्वार	29642.00	592.84
	सीकर	मूंग	44558.00	891.16
	सीकर	मोठ	19679.00	393.58
	टोंक	बाजरा	28781.00	575.62
	टोंक	उड़द	32260.00	645.20
	टोंक	मूंगफली	62326.00	1246.52
	टोंक	ग्वार	31011.00	620.22
	टोंक	ज्वार	16015.00	320.30
	टोंक	मक्का	31907.00	638.14
	टोंक	मूंग	42460.00	849.20
	टोंक	तिल	24992.00	499.84

बीमा संरक्षण/
नामांकन की अंतिम तिथि

ऋणी एवं गैर ऋणी
किसानों के लिए
बीमा करवाने की
अंतिम तिथि
15 जुलाई, 2020 है।

ई-मेल: pmfby.rajasthan@hdfcergo.com

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉल करें:
टोल फ्री नं.: 1800 2660 700

गैर ऋणी कृषक अंतिम तिथि तक अपने निकटवर्ती वित्तीय संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक / व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक / सहकारी समिति (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बीमा मध्यस्थ (बीमा एजेंट) एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा वेबसाइट लिंक: <https://pmfby.gov.in/farmerLogin> के माध्यम से स्वयं नामांकन के द्वारा अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।